न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 21/2023

प्रार्थी/परिवादी — **बनाम** — **अप्रार्थी/गैरसायल–**

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

1. श्री अमृतलाल पालीवाल पुत्र मोहनलाल जाति पालीवाल निवासी पालीवालो का वास, रामसीन, बालोतरा मैसर्स माधव ट्रेडिंग कम्पनी, मूगड़ा रोड, न्यू कृषि उपज मण्डी बालोतरा।
2. सुशीला देवी प्रो. नव दुर्गा एण्ड कम्पनी, सावरकर ब्लॉक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर।
3. सुरेन्द्र कुमार पार्टनर ऑफ मैसर्स नव दुर्गा एण्ड कम्पनी, सावरकर ब्लॉक मण्डोर मण्डी, जोधपुर।
4. राजेन्द्र प्रसाद कलवानिया प्रो. मैसर्स सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धान मण्डी गंगानगर।
5. विशाल गोयल डारेक्टर ऑफ मैसर्स नारायण एग्रो फूड्स लि., फरीदाकोट रोड, कोटकपुरा।
6. सुभाष गोयल डारेक्टर ऑफ मैसर्स नारायण एग्रो फूड्स लि., फरीदाकोट रोड, कोटकपुरा।

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. श्री अभियोजन अधिकारी, बाड़मेर प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमृतलाल पालीवाल पुत्र मोहनलाल जाति पालीवाल निवासी पालीवालो का वास, रामसीन, बालोतरा (मैसर्स माधव ट्रेडिंग कम्पनी, मूगड़ा रोड, न्यू कृषि उपज मण्डी बालोतरा) व अन्य समस्त अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

–:आदेश:–

दिनांकः– 03/07/2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप **धारा 52 खाद्य और मानक अधिनियम 2006** के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि **अप्रार्थी संख्या 01** की फर्म **मैसर्स माधव ट्रेडिंग कम्पनी, मूंगड़ा रोड़, कृषि उपज मण्डी, बालोतरा** पर निरीक्षण **दिनांक 14.02.2023** के दौरान विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ **घी (ब्राण्ड शक्ति) 15 किलो** में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार **कुल 800 ग्राम** तुलवाकर वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1844** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (ब्राण्ड शक्ति)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी (ब्राण्ड शक्ति)** का नमूना जांच उपरांत रिपोर्ट **L.S./251/Act/2023/295 दिनांक 22.02.2023 में उक्त नमूना मिथ्या छाप (Misbranded Food)** पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **52** के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। **अप्रार्थीगण** को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे।

3. हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। **अप्रार्थी संख्या 01** के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत रिपोर्ट **L.S./251/Act/2023/295 दिनांक 22.02.2023 में उक्त नमूना मिथ्या छाप (Misbranded Food)** पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत हाने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। **अप्रार्थीगण** समस्त दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहे। **अप्रार्थी संख्या 01** की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **मिथ्या छाप (Misbranded Food)** पाये जाने से खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से **अप्रार्थीगण** के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **52** के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत **अप्रार्थीगण** के विरूद्ध अपराध धारा **52** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से **अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 पर संयुक्त रूप से रुपये 25,000/— अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। **अप्रार्थीगण** उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश दिनांक 03-07-2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नानू राम सैनी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बालोतरा
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा